



2026:AHC:29881

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट - ए सं. - 1986 सन् 2026

मो. असलम खान

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता(गण) : अम्बुज मौर्य आर्य गौतम, अतिप्रिया गौतम, वरिष्ठ
अधिवक्ता

प्रतिवादी के अधिवक्ता(गण) : सी.एस.सी.

न्यायालय सं. - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. श्री विजय गौतम, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, सुश्री अतिप्रिया गौतम की ओर से श्री अंबुज मौर्य (एओआर ए/ए 1728/2023) की सहायता से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, और श्री राहुल मालवीय, राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना।
2. श्री राहुल मालवीय, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने बार में एक बयान दिया है कि उनके पास निर्देश हैं और वह इस मामले पर बहस करने की स्थिति में हैं और वह कोई हलफनामा दायर करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं, रिट याचिका का निर्णय रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए। पक्षों की सहमति से रिट याचिका पर नए सिरे से निर्णय किया जा रहा है।
3. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि रिट याचिकाकर्ता को 12.05.1995 को उर्दू अनुवादक के रूप में नियुक्त किया गया था और वह 31.08.2024 को सेवानिवृत्त हो गया। रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, सेवानिवृत्ति के बाद, रिट याचिकाकर्ता को 01.07.2024 को 28,450/- रुपये की अनंतिम पेंशन और 11,33,022/- रुपये की अनंतिम ग्रेच्युटी का भुगतान किया गया है और 1,25,891/- रुपये की राशि रोक दी गई है। रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि याचिकाकर्ता को सितंबर, 2024 से अगस्त, 2025 के महीने के लिए अनंतिम पेंशन मंजूर की गई है और रिट याचिकाकर्ता को अंतिम पेंशन 44,090/- रुपये की राशि के लिए दी गई थी। रिट याचिकाकर्ता का यह भी मामला है कि सितंबर, 2024 से अब तक रिट याचिकाकर्ता को कोई पेंशन का भुगतान नहीं किया गया है और रिट याचिकाकर्ता को जीपीएफ राशि का 10% 1,25,891/- रुपये की ग्रेच्युटी राशि का भुगतान किया गया है। सेवानिवृत्ति के बाद, याचिकाकर्ता द्वारा ग्रेच्युटी के अधिक भुगतान के बदले 210957/- रुपये की राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है, इस संबंध में कि अगस्त, 2024 तक सेवानिवृत्ति के समय रिट याचिकाकर्ता द्वारा अंतिम वेतन 56,900/- रुपये मूल वेतन प्लस भत्ता, शुद्ध वेतन 86,990/- रुपये निकाला गया है। तीसरे प्रतिवादी, पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर, जिला गाजीपुर द्वारा याचिकाकर्ता के वेतन के पुनर्निर्धारण/संशोधन के संबंध में 25.05.2025 को एक नोटिस जारी किया गया और उसके बाद याचिकाकर्ता को अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया, रिट याचिकाकर्ता ने 28.05.2025 को और समय प्रदान करने के लिए एक आवेदन किया और कुछ दस्तावेजों की मांग की। रिट याचिका के पैरा 16 में, यह दावा किया गया है कि दिनांक 30.05.2025 के पत्र के बावजूद, दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए थे कि

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



10.06.2025 को, तीसरे प्रतिवादी द्वारा वेतन को फिर से तय करने का आदेश पारित किया गया था और परिणामी वसूली को भी 01.07.2010 से किए गए पुनर्निर्धारण के आधार पर करने का निर्देश दिया गया है।

4. उक्त आदेश पर सवाल उठाते हुए और इस प्रकार 2,10,957/- रुपये की वसूली की मांग की गई, वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है।

5. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह तर्क देने की मांग की है कि एक बार रिट याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना था, जो कि पेपर बुक के पृष्ठ 40 पर रिट याचिका का एन्यूक्सरे-5 है, जिस पर रिट याचिकाकर्ता ने 30.05.2025 को एक आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें दस्तावेज प्रस्तुत करने की मांग की गई थी कि उक्त दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने चाहिए थे और समय दिया जाना चाहिए था ताकि सक्षम बनाया जा सके रिट याचिकाकर्ता को प्रभावी उत्तर देने के लिए कहा गया है। निवेदन यह है कि इस बात पर कोई विचार नहीं किया गया है कि मामले के पहलू पर कोई विचार नहीं किया गया है।

6. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल मालवीय ने प्रस्तुत किया कि आदेश वास्तव में इस तथ्य को दोहराता नहीं है कि रिट याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस दिया गया था और रिट याचिकाकर्ता ने जवाब मांगा था और अनुरोध को अस्वीकार करने या अनुरोध को स्वीकार करने या रिट याचिकाकर्ता को सूचित करने का कोई आदेश नहीं है कि उसका अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया है और अब उसे अपना जवाब प्रस्तुत करना होगा। वह प्रस्तुत करता है कि आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाता है, मामले को एक नया आदेश पारित करने के लिए प्राधिकरण को वापस भेज दिया जाता है।

7. बार में इस तरह की गई प्रस्तुतियों को सुनने के बाद और रिकॉर्ड को देखने के बाद, इस न्यायालय की राय है, एक बार प्रभावित पक्ष के खिलाफ एक प्रतिकूल आदेश पारित होने के बाद स्पष्ट रूप से दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने चाहिए और, यदि उन्हें किसी भी कारण से प्रस्तुत नहीं किया जाना है, तो प्रभावित पक्ष को सूचित करते समय एक कारण दर्ज किया जाना चाहिए कि उक्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सकते हैं, अब उसे अपना उत्तर दे, चूंकि मामले के उपरोक्त पहलू पर कोई विचार नहीं किया गया है, इसलिए आक्षेपित आदेश को बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

8. तदनुसार, रिट याचिका पर निम्नलिखित शर्तों में निर्णय लिया जा रहा है।

(क) तीसरे प्रतिवादी, पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर द्वारा दिनांक 10.06.2025 को पारित आदेश को रद्द कर दिया जाता है।

(ख) इस संबंध में नया आदेश पारित करने के लिए मामले को प्राधिकरण को वापस भेज दिया गया है;

(ग) सुविधा के लिए, रिट याचिकाकर्ता **27.02.2026** तक तीसरे प्रतिवादी के समक्ष एक आवेदन को प्रार्थामिकता देगा जिसमें दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अपने अनुरोध को दोहराया जाएगा और, यदि उक्त दस्तावेजों को वैध कारणों से प्रस्तुत नहीं किया जाना है, तो उसके बाद एक संचार किया जाएगा और उसके बाद, रिट याचिकाकर्ता उक्त सूचना से 15 दिनों की अवधि के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करेगा और आदेश एक अवधि के भीतर पारित किया जाएगा इसके बाद तीन महीने। कोई भी पुनः निर्धारण या वसूली रिमांड के बाद पारित किए जाने वाले अगले आदेशों के अधीन होगी।

9. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

फरवरी 11, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"